# राजस्थान सरकार
# निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—प. 5 (283) /निपेवि/नियम/2014/ 884-940H दिनांकः 14-07-2017

**समस्त कोषाधिकारी, ........................**
**(राजस्थान)**

**विषयः**—पेंशन भुगतान आदेश में भुगतान हेतु कोष कार्यालय में किये गये परिवर्तन की सूचना पेंशन विभाग को दिये जाने बाबत।

**महोदय,**

राजस्थान सिविलि सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 139 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कोषाधिकारी को पेंशनर द्वारा पेशन का भुगतान एक कोष कार्यालय से दूसरे कोष/ उपकोष कार्यालय से प्राप्त करने का आवेदन प्राप्त होने पर पेंशन भुगतान अधिकृति के दोनो भाग में अन्तिम भुगतान अंकित कर कोष कार्यालय अपने स्तर पर स्थानान्तरित करने हेतु अधिकृत किया हुआ है।

उक्त नियम में ही इस कार्यवाही की सूचना पेंशन विभाग को भी देने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रायः देखा गया है कि कोषाधिकारी दूसरे कोष कार्यालय को पत्रावली स्थानान्तरित कर इसकी सूचना पेंशन विभाग को नहीं देते है, जिससे पेंशन विभाग के स्तर पर पेंशन प्रकरणों का रिविजन करते समय संशोधित पेंशन अधिकृतियां पेंशन विभाग के पूर्व रिकॉर्ड में अंकित कोष कार्यालय को ही भिजवादी जाती है। जिससे पेंशनर को संशोधित पेंशन परिलाभों का समय पर भुगतान नहीं हो पाता एवं इसमें अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि कोष कार्यालय के स्थान में परिवर्तन की सूचना पेंशन विभाग को भिजवाते हुये अविलम्ब आई.एफ.एम. एस. पर अपडेट करे ताकि पेंशन विभाग के स्तर से जारी की जाने वाली संशोधित पेंशन परिलाभों की अधिकृतियों में सही कोष कार्यालय का नाम अंकित किया जा सके तथा भुगतान मे अनावश्यक विलम्ब की स्थिति नहीं बनें।

भवदीय,

(अरूण कुमार गुंप्ता)
निदेशक

**प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—**

1. अतिरिक्त निदेशक,पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षे.का, अजमेर, बीकानेर , भरतपुर, जयपुर, जोधुपर ,कोटा ,उदयपुर।
2. अतिरिक्त/संयुक्त/ सहायक निदेशक, पीआर अनुभाग 1,2,3,4,5,6,7 कार्यालय हाजा।

निदेशक

C:\Users\india\Desktop\JAIRAJ\Rules Letter.docx129